उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 प्रधान कार्यालय : 10, माल एवेन्यू, लखनऊ

परिपत्र सं0 सी-126/तकनीकी प्रकोष्ठ/23वां स्वै0निरी0/2016-17 दिनांक - 25-3-2017

समस्त शाखा प्रबन्धक
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0
उत्तर प्रदेश

विषय- बैंक के 23वें स्वैच्छिक निरीक्षण में नाबार्ड द्वारा पायी गयी कमियों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लखनऊ द्वारा बैंक के 23वे स्वैच्छिक निरीक्षण में नाबार्ड के अधिकारियों द्वारा शाखाओं की कार्य प्रणाली में निम्न कमियां/विसंगतियां पायी गयीं, जिनके सम्बन्ध में निम्न निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

1. जनता दुर्घटना बीमा योजना में ऋणी कृषकों के आच्छादन के सम्बन्ध में किसानों की अभिरूचि इस योजना में नगण्य हैं। अतः शाखाओं द्वारा किसानों से रूचि नहीं रखने के सम्बन्ध में इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जाये कि वह इस कार्यक्रम में रूचि नहीं रखते हैं।
2. मूल्यांकन प्रणाली अप्रेजल के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि बैंक के प्रधान कार्यालय द्वारा जारी किये गये माडल में या तो मात्र संख्याओं में मामूली फेर बदल करके अथवा कतिपय शाखाओं द्वारा पूर्णरूपेण माडल में अंकित आंकड़ों को ही चस्पा कर दिया जाता है जिसमें कृषक लाभार्थियों के अप्रेजल की गणना न तो तर्कपूर्ण रहती है और न ही उसके आधार पर निकाला गया निष्कर्ष भी बैंक हित में होता है। यह कार्यप्रणाली फील्ड कर्मचारियों की शिथिलता व निर्देशों के पालन न करने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। अतः अप्रेजल के आकलन हेतु क्षेत्र का भ्रमण कर सही-सही आंकड़ों के आधार पर ही गणना की जाये।
3. शाखाओं द्वारा योजनाओं के अप्रेजल करते समय इकाईयों/उद्यमियों की वित्तीय अपेक्षाओं का आगणन करने में कार्यशील पूँजी की समस्त आवश्यकताओ को बिना सम्मिलित किये और क्षेत्र में उपलब्ध विपणन व अन्य सम्भावनाओं पर बिना विचार किये कतिपय शाखाओं द्वारा ऋण प्रस्ताव स्वीकृत कर दिये जाते हैं और परियोजना से होने वाली आय को बिना ध्यान रखे ऋणों के भुगतान की समान किश्तों का निर्धारण कर दिया जाता है जो अव्यवहारिक है। अतः परियोजना से होने वाली आय के व्यवहारिक आंकलन के उपरांत ही भुगतान की किश्तों का निर्धारण किया जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये।

25.03.17

(श्रीकान्त गोस्वामी)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त जनपदीय प्रबन्धकों को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र की प्रति अपने जनपद की समस्त शाखा प्रबन्धकों को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. उप महाप्रबन्धक(आई0टी0सेल),उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को बैंक की समस्त जनपदीय शाखाओं को ई-मेल द्वारा प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, प्रधान कार्यालय लखनऊ को उनके पत्रांक-89342/23वां स्वै0निरी0 /2016-17 दिनांक-15.03.2017 के संदर्भ में।
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय-11 विपिन खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ कों सूचनार्थ।

(अजयपाल सिंह)
महाप्रबनधक(तक0)

Sending Mail → S.K. Tiwari → cer- Nabard 23th Nirikshan 23.3.17